

# भविष्य निधि से निकासी हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

मंत्रालय - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
कार्यालय - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली

## अंशदायी भविष्य निधि से निकासी हेतु आवेदन

01. अंशदाता का नाम :
02. खाता संख्या :
03. पदनाम :
04. वेतन :
05. सेवाग्रहण और सेवानिवृत्ति की तिथि :
06. निम्नलिखित के अनुसार आवेदन की तिथि को :  
अंशदाता के जमा खाते में शेष राशि  
(1) वार्षिक विवरण अनुसार अंतशेष :  
(2) .....मासिक अंशदान के लिए :  
दिनांक.....से.....तक जमा राशि  
(3) उपर्युक्त (1) के द्वारा अंतशेष के बाद भविष्य :  
निधि में की गई वापसी  
(4) दिनांक .....से .....तक की :  
अवधि के दौरान निकासी  
(5) आवेदन की तिथि को जमा खाते में कुल शेष :  
राशि
07. निकासी हेतु अपेक्षित राशि :
08. क. अपेक्षित निकासी का उद्देश्य :  
ख. नियम जिसके अधीन आवेदन किया गया है। :
09. क्या इस उद्देश्य के लिए पहले भी कोई निकासी ली :  
गई है। यदि हाँ तो निकासी की राशि और वर्ष का  
उल्लेख करें।
10. भविष्य निधि खाते का रख-रखाव करने वाले लेखा :  
अधिकारी का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

अनुभाग/प्रभाग .....

दिनांक:.....

स्थान .....

## केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, दिल्ली-32

सं.....

दिनांक.....

### प्रोफार्मा - II : अंशदायी भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम राशि की स्वीकृति का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कु. .... को उसके/ उसकी  
अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या ..... के विनियम (क) ..... के अंतर्गत  
.....रु ..... (शब्दों में)  
..... पर आने वाले खर्च की पूर्ति कर सके। यह अग्रिम राशि  
..... रुपये प्रति किस्त से ..... मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी जो  
उसे ..... मास से मिलने वाले वेतन से शुरू होगी।

(ख) इन्हें ..... में संस्वीकृत तथा दिए गए ..... रुपये  
(शब्दों में) ..... की अग्रिम में से शेष  
..... रुपये (शब्दों में) ..... अभी तक  
वसूल नहीं किए गए हैं। यह राशि अब स्वीकृत की गई राशि सहित कुल ..... (शब्दों में)  
..... है तथा  
..... रुपये प्रति किस्तों से ..... मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी जो उसे  
..... में मिलने वाले वेतन से शुरू होगी।

(2) शर्त यह है कि उन्हें इस आशय की घोषणा देनी होगी कि समारोह का आयोजन निर्धारित तिथि को किया जा चुका है।

(क) संबंधित नियमों का उद्धृत करें।

(ख) जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है उसका विवरण दें।

(ग) यह अनुच्छेद केवल तभी प्रयोग किया जाएगा यदि पिछली बकाया राशि की वसूली नहीं की जानी है। यदि लागू न हो तो काट दें।

(घ) इस अनुच्छेद को उस समय प्रयोग किया जाएगा जब पिछला बकाया हो। लागू न हो तो काट दें।

यदि नए अग्रिम की स्वीकृति की तारीख को वसूली के लिए एक से अधिक अग्रिम बकाया हो तो पहले दिए गए तथा नए अग्रिम की स्वीकृति की तिथि को अस्थाई अग्रिमों के पूर्ण विवरण तथा प्रत्येक बकाया अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि स्पष्ट रूप में दर्शायी जानी चाहिए

सहायक लेखा अधिकारी

#### प्रतिलिपि:

1. डा./श्री/श्रीमती/कु.....
2. प्रशासन अधिकारी
3. लेखा अधिकारी

**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
परिवेश भवन, दिल्ली-32

**फार्म - 3**

**अंशदायी भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम लेने के लिए आवेदन-पत्र**

1.	अंशदाता का नाम	:	
2.	खाता संख्या	:	
3.	पदनाम	:	
4.	वेतन	:	
5.	आवेदन की तिथि को अंशदाता के खाते में शेष	:	
6.	पिछले अग्रिम की बकाया राशि यदि कोई हो और उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है।	:	
7.	अपेक्षित अग्रिम राशि	:	
8.	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम अपेक्षित है। (विनियम 59)	:	
9.	समेकित अग्रिम राशि (मद 6 व 7) और मासिक किस्तों की संख्या (राशि जिनमें समेकित अग्रिम वापिस की जानी प्रस्तावित है।)	:	
10.	अंशदाता की आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण जिससे अस्थाई निकासी के लिए आवेदन उचित सिद्ध हो।	:	
11.	वेतन संबंधी सूचना	:	
12.	मूल वेतन	:	
	सकल वेतन	:	
	कटौतियाँ	:	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

# केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, दिल्ली-32

सं.....

दिनांक.....

## स्वीकृति आदेश

विषय: डा./श्री/श्रीमती/कु. .... द्वारा अंशदायी भविष्य निधि से निकासी ।

मुझे अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत नियम ..... के अधीन श्री ..... द्वारा अंशदायी भविष्य निधि के उनके खाता संख्या ..... से ..... रुपये ..... (शब्दों में) निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है। ताकि वे ..... के संबंध में आने वाले खर्च की पूर्ति कर सकें।

02. निकासी की राशि, श्री ..... के अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि/अंशदान, उनके खाते में जमा राशि/अंशदान के तीन चौथाई से अधिक न हो । उनका मूल वेतन ..... रुपये है।

03. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... के सेवानिवृत्ति के ..... वर्ष हैं । उन्होंने उक्त तिथि को सरकारी सेवा के ..... वर्ष पूरे कर लिए हैं।

04. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... द्वारा सभी सरकारी स्रोतों से, गृह निर्माण उद्देश्यों के लिए निकाली गई राशि, अंशदायी भविष्य निधि से निकाली गई राशि सहित कुल राशि, गृह निर्माण उद्देश्यों के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की योजना के नियम 2(ए) और 3 (बी) के अंतर्गत अग्रिमों की स्वीकृति के लिए समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

05. श्री ..... के खाते में दिनांक ..... को शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

- (1) वर्ष ..... की खाता पर्ची के अनुसार शेष.....रु.
- (2) इसके बाद जमा राशि और अग्रिमों की वापिसी.....रु.
- (3) एक और दो कॉलम का कुल योग .....रु.
- (4) बाद की निकासी यदि कोई हो ..... रु.
- (5) स्वीकृति की तिथि को शेष कॉलम (3-4) ..... रु.

06. यह आदेश अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

सहायक लेखा अधिकारी

### प्रतिलिपि:

1. डा./श्री/श्रीमती/कु. ....
2. प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
3. लेखा अधिकारी